ई–मेल / सर्वोच्च प्राथमिकता / कोर्टकेस

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त संयुक्त निदेशक,डी0एफ0एस0 उ0प्र0।
2–संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना मिर्जापुर।
3–संयुक्त निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोडा नौगढ़, चन्दौली।
4–समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2,पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
5–प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0 लखनऊ।
5–उप निदेशक, (प्रक्षेत्र) महानगर लखनऊ।

संख्या 1638 / स्था0–3 / विधि प्रकोष्ठ दिनांक– 12-8-16

विषय– **माо उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के आदेशों का समय [illegible] अनुपालन किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के आदेशों का समय [illegible] अनुपालन किये जाने के लिये मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समीक्षा करते हुये विभागों को निर्देशित किया है कि स्तरी[illegible] कार्यालयों में दीर्घ अवधि तक बिना किसी कार्यवाही के वाद उन पर पारित आदेश लम्बित रहते हैं जिसके फलस्वरू[illegible] शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्व अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। शासन के पत्र संख्या– 5293 / पी0एस0/ पी0 / 2016 दिनांक– 21 जुलाई 2016 द्वारा आदेशित किया है कि सभी अधिकारी अपने कैम्प कार्यालय में मा0 न्यायालय[illegible] के आदेशों के सम्बन्ध में प्रकरणों की सूची तैयार कर लें और नये प्रकरण प्राप्त कर उन्हें सम्मिलित करते रहें। ऐस[illegible] व्यवस्था अपने यहां बना ले कि एक सप्ताह में दो बार अपने स्तर पर उनकी गहन समीक्षा अधीनस्थ अधिकारियों के सा[illegible] की जाये और किसी प्रकार से अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। शासन द्वारा निर्देशित किया है कि मुख्य सचिव महोद[illegible] द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न होने से शासन के लिये कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे सम्बन्धि[illegible] अधिकारी के शासनादेशों की अवहेलना का प्रकरण मानते हुये यथोचित कठोर कार्यवाही की संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तु[illegible] की जायेगी। अतः वर्णित स्थिति में दिये गये आदेशों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किये जाने एवं किसी प्रकार [illegible] शिथिलता न बरतने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 1953 / स्था0–3 / विधि प्रकोष्ठ दि0 4.9.2016 द्वारा निर्देशित किया ग[illegible] है परन्तु प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से अभी तंक आपके द्वारा इस कार्यालय को अवगत नही कराया गया है। अ[illegible] प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही से तत्काल इस कार्यालय को अवगत करायें ।

भवदीय

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

संख्या / स्था0–3 / विधि प्रकोष्ठ दिनांक–

प्रतिलिपि विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन को शासन के पत्र संख्या– 5293 / पी0एस0/ पी0 / 2016 दिनांक– 21 जुलाई 2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।